(17)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 43/2021 | तारीख रजू 22.6.2021 | तारीख निर्णय 17-6-25

1. गिलासी पुत्र जौहरी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. रामगोपाल पुत्र जौहरी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामकेश पुत्र जौहरी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. बतासी पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. बाबू पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. रमेश पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. अनिता पुत्री जलधारी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. ओमप्रकाश पुत्र नवल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. कपिल पुत्र छुट्टन | नाबालिगान जरिए माता तारावती जाति मीना
4. विकास पुत्र छुट्टन | निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. गोविन्द सहाय पुत्र मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. अमरी पुत्री मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. गल्ला पुत्री मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
8. गिन्दोडी पुत्री मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
9. मल्ली देवी पुत्री मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. तारावती पत्नि छुट्टन, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
11. प्रकाश पुत्र किशोर, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
12. भगवानदास पुत्र कमल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
13. भरतलाल पुत्र नवल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
14. महीपाल पुत्र गिरधारी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
15. रजनीता पुत्री छुट्टन, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
16. रामचरण पुत्र मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
17. बनेसिंह पुत्र नवल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
18. सुशील पुत्र कमल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
19. सोमोती पत्नि नवल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
20. गिर्राज पुत्र सांवलिया, मीना निवासी [illegible] की डोंगरी के [illegible] ताजपुर
21. हरिप्रसाद पुत्र जौहरी, मीना निवासी जीरोता तहसील सपोटरा
22. केनरा बैंक शाखा गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

गिलासी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

(2)

23.पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
24.ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बामनवारा
25.भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य बाजार, गंगापुर सिटी
26.बैंक आफ बडौदा शाखा कालेज रोड, गंगापुर सिटी
27.बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डेयरी चौराहा, गंगापुर सिटी
28.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 12, 17 की ओर से
श्री दामोदरलाल गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से
श्री राजेन्द्र मिश्र, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी में खाता संख्या 64 के ख0न0 165 रकबा 31 एयर, खाता संख्या 28 ख0नं0 473 रकबा 95 एयर, ख0नं0 475 रकबा 65 एयर, ख0नं0 478 रकबा 2.25 है0, खाता संख्या 35 ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 12 एयर, खाता संख्या 162 ख0नं0 110 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 136 रकबा 30 एयर, ख0नं0 137 रकबा 23 एयर, ख0नं0 138 रकबा 88 एयर, ख0नं0 139 रकबा 90 एयर, ख0नं0 140 रकबा 82 एयर, ख0नं0 141 रकबा 90 एयर, ख0नं0 161 रकबा 40 एयर, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, खाता संख्या 30 ख0नं0 130 रकबा 70 एयर, ख0नं0 131 रकबा 69 एयर, ख0नं0 132 रकबा 70 एयर, ख0नं0 133 रकबा 56 एयर, ख0नं0 135 रकबा 33 एयर, खाता संख्या 29 ख0नं0 474 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 489 रकबा 28 एयर, ख0नं0 490 रकबा 4 एयर, ख0नं0 491 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 492 रकबा 94 एयर, ख0नं0 493 रकबा 56 एयर, ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0 जिसमें जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा ख0नं0 ... रकबा 1.10 है0, ख0नं0 164 रकबा 1.46 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 170 रकबा 4 एयर, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 172 रकबा 32 एयर, ख0नं0 224 रकबा 16 एयर, ख0नं0 225 रकबा 18 एयर, ख0नं0 265 रकबा 14 एयर, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(19)

266 रकबा 14 एयर, ख0नं0 267 रकबा 77 एयर, ख0नं0 282 रकबा 53 एयर, ख0नं0 283 रकबा 87 एयर, ख0नं0 284 रकबा 25 एयर, ख0नं0 290 रकबा 53 एयर ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है। इस भूमि में वादीगण 1/2 हिस्से के सहखातेदार हैं। उक्त आराजियात में ख0नं0 165 रकबा 31 एयर में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 हिस्सा है। खाता संख्या 28 ख0नं0 473, 475, 476 में वादी गिलासीराम का 1/6 हिस्सा, बतासी का 1/12 हिस्सा, बाबूलाल का 1/12 हिस्सा, रमेशचंद का 1/12 हिस्सा , रामकेश व जौहरीलाल का 1/6, 1/6 हिस्सा कुल 9/12 यानि 3/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 35 ख0नं0 173, 174 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 कुल 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 162 ख0नं0 110, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 161, 162 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 कुल 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 30 ख0नं0 130, 131, 132, 133, 135 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 यानि 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 29 ख0नं0 474, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 यानि कुल 6/12 यानि 1/2 हिस्सा है। बाकी हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उक्त आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है। प्रत्येक सहखातेदार अपनी सुविधानुसार कम ज्यादा भूमि काश्त कर रहे हैं तथा कुछ भूमि खाली बंजड छोड रखी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से काफी मर्तवा उक्त भूमि का सरस नरस तरीके से बंटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो टालम टोल करते रहे । दिनांक 11.6.2021 को प्रतिवादीगण ने भूमि का बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया और वादीगण से यह भी कहा कि वो उक्त भूमि में अपनी इच्छानुसार मकान बनायेंगे, बोरिंग करायेंगे व वादीगण को बेदखल करेंगे जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। बिना विभाजन हुए किसी भी सहखातेदार को शामलाती भूमि में निर्माण करने का एवं बोरिंग करने का अधिकार नहीं है तथा कृषि भूमि में निर्माण कर अकृषि भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण ने बिना बंटवारा हुए उक्त शामलाती भूमि में निर्माण कर लिया व बोरिंग खोद ली तो वादीगण को अपूर्तिदायक क्षति होगी। सहखातेदार प्रेमराज एवं मिश्री का स्वर्गवास हो चुका है। प्रेमराज के वारिस प्रतिवादीगण प्रकाश, महीपाल, अनिता, तारा एवं कपिल, विकास व रजनीता है तथा सहखातेदार मिश्री के वारिस प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(20)

गोविन्द सहाय व रामचरण है। सहखातेदार ने अपने हिस्से की कुछ अविभाजित भूमि को प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 27 के यहां रहन रखा हुआ है इस कारण प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 27 को बहैसियत मुर्तहिन पक्षकार बनाया गया है तथा विभाजन हेतु प्रतिवादी संख्या 28 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जाता है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन डिक्री किया जाकर ख0न0 165 रकबा 31 एयर, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 12 एयर, ख0नं0 110 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 136 रकबा 30 एयर, ख0नं0 137 रकबा 23 एयर, ख0नं0 138 रकबा 88 एयर, ख0नं0 139 रकबा 90 एयर, ख0नं0 140 रकबा 82 एयर, ख0नं0 141 रकबा 90 एयर, ख0नं0 161 रकबा 40 एयर, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 130 रकबा 70 एयर, ख0नं0 131 रकबा 69 एयर, ख0नं0 132 रकबा 70 एयर, ख0नं0 133 रकबा 56 एयर, ख0नं0 135 रकबा 33 एयर, ख0नं0 474 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 489 रकबा 28 एयर, ख0नं0 490 रकबा 4 एयर, ख0नं0 491 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 492 रकबा 94 एयर, ख0नं0 493 रकबा 55 एयर, ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 163 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 164 रकबा 1.46 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 170 रकबा 4 एयर, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 172 रकबा 32 एयर, ख0नं0 224 रकबा 16 एयर, ख0नं0 225 रकबा 18 एयर, ख0नं0 265 रकबा 14 एयर, ख0नं0 266 रकबा 14 एयर, ख0नं0 267 रकबा 77 एयर, ख0नं0 282 रकबा 53 एयर, ख0नं0 283 रकबा 87 एयर, ख0नं0 284 रकबा 25 एयर, ख0नं0 290 रकबा 53 एयर ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी का सरस नरस बंटवारा किया जाकर प्रत्येक वादी का 1/12, 1/12 हिस्से अनुसार अलग अलग खाता कायम किया जाकर ट्रेस में तरमीम की जावे। ख0नं0 473 रकबा 95 एयर, ख0नं0 475 रकबा 65 एयर, ख0नं0 478 रकबा 2.25 है0 ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी का इस तरीके से बंटवारा किया जाकर प्रत्येक वादी को 1/6, 1/6 हिस्से का अलग अलग खाता कायम किया जाकर ट्रेस में तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे ख0न0 165 रकबा 31 एयर, ख0नं0 473 रकबा 95 एयर, ख0नं0 475 रकबा 65 एयर, ख0नं0 478 रकबा 2.25 है0, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 12 एयर, ख0नं0 110 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 136 रकबा 30 एयर, ख0नं0 137 रकबा 23 एयर, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

138 रकबा 88 एयर, ख0नं0 139 रकबा 90 एयर, ख0नं0 140 रकबा 82 एयर, ख0नं0 141 रकबा 90 एयर, ख0नं0 161 रकबा 40 एयर, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 130 रकबा 70 एयर, ख0नं0 131 रकबा 69 एयर, ख0नं0 132 रकबा 70 एयर, ख0नं0 133 रकबा 56 एयर, ख0नं0 135 रकबा 33 एयर, ख0नं0 474 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 489 रकबा 28 एयर, ख0नं0 490 रकबा 4 एयर, ख0नं0 491 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 492 रकबा 94 एयर, ख0नं0 493 रकबा 55 एयर, ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 163 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 164 रकबा 1.46 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 170 रकबा 4 एयर, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 172 रकबा 32 एयर, ख0नं0 224 रकबा 16 एयर, ख0नं0 225 रकबा 18 एयर, ख0नं0 265 रकबा 14 एयर, ख0नं0 266 रकबा 14 एयर, ख0नं0 267 रकबा 77 एयर, ख0नं0 282 रकबा 53 एयर, ख0नं0 283 रकबा 87 एयर, ख0नं0 284 रकबा 25 एयर, ख0नं0 290 रकबा 53 एयर ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी में कोई मकान या अन्य निर्माण नहीं करें तथा कृषि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, कोई बोरिंग नहीं करें तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि सहखातेदारी में होना स्वीकार है। भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे की नहीं रही है क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य अरसा करीब 70 साल पूर्व से ही समस्त भूमि का अपने हिस्सेनुसार मौखिक विभाजन हो गया। तभी से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज तथा उनके मरने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण पृथक पृथ्क रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को काफी रूपया खर्चा कर काबिज काश्त बनाया है। अपने हिस्से की भूमि में काफी विकास कार्य कर रखे है। बाउ[illegible] बना रखी है, मकान बना रखे है, बोरिंग लगा रखी हे तथा [illegible] रखे है और उक्त मकानों में प्रतिवादीगण तभी से रहते चले आ रहे [illegible] लेकिन अब वादीगण की नियत खराब हो गई है। अब वे प्रतिवादीगण के [illegible]स्से की भूमि पर इस बंटवारे के नाम पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अरसा करीब 70 साल पूर्व ही विभाजन हो गया है तथा उसी विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य 70 साल पूर्व जो विभाजन हुआ था उस विभाजन के अनुसार ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 हिस्सा 1/2 पर एवं ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में अनीता पुत्री जलधारी का कब्जा है तथा ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0 के हिस्सा 1/2 तथा ख0नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.55 है0 के हिस्सा 1/5 पर अनीता का कब्जा है तथा ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 1.12 है0 के हिस्सा 1/4 में अनीता का कब्जा है तथा इसी अनुसार अनीता काबिज चली आ रही है। ख0नं0 473, 475, 478 में से ख0नं0 475 सम्पूर्ण वादीगण गोविन्द सहाय एवं रामचरण के हिस्से में आई है तथा ख0नं0 475 पर उन्हीं का कब्जा चला आ रहा तथा ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण वादीगण गोविन्द सहाय व रामचरण के हिस्से में आई है तथा ख0नं0 131 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0 गोविन्द सहाय व रामचरण के हिस्से में आई है तथा उन्हीं का कब्जा है। ख0नं0 168 में गोविन्द सहाय एवं रामचरण का मकान बना हुआ है तथा उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। ख0नं0 283 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.90 है0 गोविन्द सहाय एवं रामचरण के हिस्से की भूमि है तथा उन्हीं का कब्जा है। इसी प्रकार ख0नं0 171 रकबा 1.20 है0 में से हिस्सा 1/4, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 1.12 है0 में से हिस्सा 1/4, ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0 में से हिस्सा 1/2, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 में से हिस्सा 1/2 तारावती, रजनीता, विकास, कपिल के हिस्से की है तथा उन्हीं का कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.55 है0 तथा ख0नं0 171 में से 0.32 है0 भूमि पर तारावती, रजनीता, विकास, कपिल का कब्जा चला आ रहा है व इसमें इन्होने अपना मकान बना रखा है व विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में से 1/4 हिस्से में प्रकाश का पुख्ता मकान बना हुआ है, उसने स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा इसी प्रकार ख0नं0 173, 174 के हिस्सा 1/4 में [illegible] हिस्सा 1/4, ख0नं0 285, 290 में हिस्सा 1/4, ख0नं0 492, 493 में [illegible] हिस्सा 1/5 है तथा महीपाल पुत्र गिरधारी का ख0नं0 171 में 1/4 हिस्सा है जिसमें उसने मकान बना रखा है, बोरिंग भी लगा रखी है तथा महीपाल का ख0नं0 173, 174 के हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/4 है तथा ख0नं0 285, 290 में से 3/4 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

महीपाल का है। प्रेमराज लाऔलाद फ़ौत हो चुका है। प्रेमराज के एकमात्र वारिस अनीता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, रजनीता तथा महीपाल हैं। पक्षकारों के मध्य अर्सा करीब 70 साल पहले ही विभाजन हो गया है। तभी से पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तथा अपने अपने हिस्से में उन्होने विकास कार्य भी कर रखे हैं। अर्सा करीब 40 साल पहले से प्रतिवादीगण के मकानात बने हुए हैं तथा काफी लम्बे समय से विद्युत कनेक्शन पृथक पृथक रूप से ले रखे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 70 साल पहले से अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर उनकी हैसियत सहखातेदार की नहीं रही है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के हिस्से पर बिना कब्जे के दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 12, 18 ने अपने में वाद को अस्वीकार करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 23 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी मिनजबाबदार बैंक के यहां प्रतिवादी संख्या 15 रजनीता व प्रतिवादी संख्या 10 तारावती की प्रत्येक का हिस्सा 1/40 रहन रखा हुआ है। इन्होने ऋण नहीं चुकाया है। जब तक बैंक की बकाया राशि जमा नहीं होगी, बैंक का रहन राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहेगा। इसलिए भूमि का बंटवारा कानूनन नहीं हो सकता है। श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि बैंक को उक्त ऋणियों से बकाया राशि का भुगतान कराया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 31, 64, 28, 35, 162, 30, 29 ग्राम ताजपुर प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

मुकदमा नम्बर	तारीख [illegible]	तारीख निर्णय
53/2021	[illegible]	17-6-25

1. गोविन्द सहाय पुत्र मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र मिश्रया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. अनिता पुत्री जलधारी पत्नि रमेश, मीना नि0 ताजपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. तारावती पत्नि छुट्टन, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. प्रकाश पुत्र किशोर, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

गिलासी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

6. रजनीता पुत्री छुट्टन, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. विकास पुत्र छुट्टनलाल | नाबालिगान जरिए संरक्षक मां तारावती पत्नि
8. कपिल पुत्र छुट्टनलाल | छुट्टनलाल, मीना नि0 ताजपुर तह0 गंगापुर
9. महीपाल पुत्र गिरधारी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
10.हरिप्रसाद पुत्र जौहरी लाल, मीना नि0 जीरोता तह0 सपोटरा ---वादीगण

बनाम

1. गिलासीरामा पुत्र जौहरी, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. बतासी पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. बाबूलाल पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. रमेश पुत्र कोरया, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. रामकेश पुत्र जौहरीलाल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. रामगोपाल पुत्र जौहरीलाल, मीना निवासी ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. बनेसिंह पुत्र नवल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. भरतलाल पुत्र नवल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. भगवानदास पुत्र कमल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10.सुशील पुत्र कमल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11.सोमोती पत्नि नवल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
12.पांच्या पुत्र भौरया, माली निवासी महूकलां (मृतक)
12/1.स्वरूप पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां
13.रंगलाल पुत्र भौरया, माली निवासी महूकलां (मृतक)
13/1.खिलारी पुत्र रंगलाल, माली निवासी महूकलां
13/2.श्यामलाल पुत्र रंगलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13/3.रूपलाल पुत्र रंगलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13/4.बत्तीलाल पुत्र रंगलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13/5.सन्तोष पुत्र रंगलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13/6.गुलाबदेवी बेवा रंगलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. हजारी पुत्र भौरया, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
14/1.बुधराम पुत्र हजारी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
15.एस0बी0बी0जे0 शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
16.ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बामनवास जरिए प्रबन्धक
17.पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
18.केनरा बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

गिलासी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

19.बैंक आफ बडौदा शाखा कालेज रोड, गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
20.सरकार जरिएलैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
21.ओमप्रकाश पुत्र नवल, मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री जे0के0गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 7, 9 की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से
श्री राजेन्द्र मिश्र, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से
श्री दामोदरलाल गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से
श्री महेशचंद अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 12/1, 13/1 से 13/6, 14/1 की ओर से

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण गोविन्दसहाय एवं रामचरण एवं प्रतिवादीगण गिलासीराम, बतासी, बाबूलाल, रमेशचंद, रामकेश, रामगोपाल की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 473 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 475 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 478 रकबा 2.25 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है। इसी प्रकार वादीगण गोविन्दसहाय, रामचरण, अनीता, तारावती, प्रकाश, महीपाल, रजनीता, विकास एवं प्रतिवादी गिलासीराम, बतासी, बाबूलाल, रमेशचंद, रामगोपाल की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 474 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 489 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 490 रकबा 0.04 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 491 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है। इसी प्रकार वादीगण गोविन्दसहाय, रामचरण, प्रकाश, हरिप्रसाद की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 130 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 131 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 133 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 135 रकबा 0.33 है0 ग्राम [illegible] में स्थित है। इसी प्रकार वादीगण गोविन्दसहाय, रामचरण, अनिता, कपिल, [illegible], प्रकाश, प्रेमराज, महीपाल, रजनीता, विकास की सहखातेदारी की [illegible] ख0नं0 163 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 164 रकबा 1.64 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 170 रकबा 0.04 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 172 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 224 रकबा 0.16 है0 गै0मु0आबादी, ख0नं0 225 रकबा 0.18 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

ख0नं0 265 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 282 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 283 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 284 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 285 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 290 रकबा 0.53 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है। प्रेमराज पुत्र किशोर लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रेमराज के वारिस अनीता, कपिल, तारावती, प्रकाश, रजनीता, विकास, महिपाल है जो प्रेमराज के हिस्से पर काबिज है तथा प्रेमराज का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 0.12 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है जिनकी खातेदारी गोविन्द सहाय, रामचरण, अनीता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, प्रेमराज, महिपाल, रजनीता, मिश्रीबाई एवं प्रतिवादी गिलासीराम, बतासी, बाबूलाल, रमेशचंद, रामकेश, रामगोपाल की सहखातेदारी में नाम दर्ज है। मिश्रीबाई का इंतकाल हो चुका है। उसके वारिस वादीगण गोविन्दसहाय व रामचरण हैं। भूमि ख0नं0 165 रकबा 0.31 है0 ताजपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी गोविन्दसहाय, रामचरण, अनीता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, प्रेमराज, महिपाल, मिश्रीबाई,रजनीता एवं प्रतिवादी ओमप्रकाश, गिलासीराम, बतासी, बाबूलाल, भगवानदास, नवल, भरतलाल, रमेशचंद, राकेश, रामगोपाल, बनेसिंह, सुशील, सोमोती के नाम दर्ज है। इसी प्रकार भूमि ख0नं0 142 की खातेदारी गोविन्दसहाय, रामचरण, अनिता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, प्रेमराज, महिपाल, मिश्रीबाई, रजनीता एवं प्रतिंवादी किशन, गिलासीराम, पांच्या, बतासी, बाबूलाल, रंगलाल, रमेशचंद, रामकेश, रामगोपाल, हजारी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ख0नं0 110 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 136 रकबा 0. 30 है0, ख0नं0 137 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 139 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 140 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0 ग्राम ताजपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी गोविन्दसहाय, रामचरण, अनीता, विकास, तारावती, प्रेमराज, महिपाल, मिश्रीबाई, रजनीता एवं प्रतिवादी गिलासीराम, बतासी, बाबूलाल, रमेशचंद, रामकेश, रामगोपाल के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने करीब 70 साल पूर्व से ही मौके पर उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया तथा बंटवारे के मुताबिक मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर काफी खर्चा करके भूमि विकास करके सिंचाई हेतु बोरिंग, मकान, विद्युत कनेक्शन करवाए हुए हैं। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10.47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

हरिप्रसाद की सहखातेदारी में भूमि ख0नं0 130, 131, 132, 133, 135 दर्ज है लेकिन आपसी सहमति से हरिप्रसाद का कब्जा ख0नं0 130 रकबा 0.70 है0 के 0.59 है0 पर चला आ रहा है जिसमें उसने बाउण्ड्रीबाल बना रखी है। कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा तीन मंजिला मकान, ग्रीन हाउस बना रखा है जिसमें वादी हरिप्रसाद निवास करता चला आ रहा है। अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई है और अब वे हरिप्रसाद के हिस्से में कब्जा करना चाहते हैं। वादिया अनीता के पिता जलधारी का बंटवारे के समय से ही 70 साल से पृथक कब्जा चला आ रहा है। जिस जगह जलधारी का कब्जा था अब उसके मरने के बाद उसकी पुत्री अनीता का कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 के हिस्सा 1/2 पर एवं ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 के 1/4 हिस्से पर अनीता का कब्जा है। ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0 में 1/2 हिस्से पर, ख0नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.55 है0 के 1/5 हिस्से पर, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 0.12 है0 के हिस्से 1/4 में वादिया अनीता का 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार अनीता अपने हिस्से पर काबिज चली आ रही है। ख0नं0 473, 475, 478 में से ख0नं0 475 सम्पूर्ण वादीगण गोविन्दसहाय एवं रामचरण के हिस्से में आई है। मिश्रीबाई का इंतकाल हो चुका है व गोविन्दसहाय व रामचरण मिश्रीबाई के वारिस हैं। ख0नं0 475 सम्पूर्ण को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। ख0नं0 494 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0 सम्पूर्ण वादीगण गोविन्दसहाय व रामचरण के हिस्से में आई है। उक्त दोनों नम्बरो में गोविन्द सहाय व रामचरण ने बोरिंग भी लगा रखी है तथा कृषि कनेक्शन भी ले रखा है। इसी प्रकार ख0नं0 131 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, गोविन्द सहाय व रामचरण के हिस्से में आई है तथा उन्हीं का कब्जा है। ख0 नं0 168 में गोविन्दसहाय एवं रामचरण का मकान बना हुआ है तथा उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। ख0नं0 283 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.90 है0 गोविन्दसहाय एवं रामचरण के हिस्से की भूमि है तथा उन्हीं का कब्जा है। इसी प्रकार ख0नं0 171 रकबा 1.20 है0 में से हिस्सा 1/4, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 0.12 है0 में हिस्सा 1/4 में से 1/4 हिस्सा, ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0 में से हिस्सा 1/2, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 में से हिस्सा 1/2, ख0 नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 171 में मकान बना हुआ है। इसी अनुसार तारावती, रजनीता, विकास, कपिल का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

चला आ रहा है। प्रकाश पुत्र किशोर का ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में से 1/4 हिस्सा है। जिसमें प्रकाश का पुख्ता मकान बना हुआ है तथा विद्युत संबंध भी ले रखा है। ख0नं0 173, 174 के हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/4 है। ख0नं0 285, 290 में प्रकाश का 1/4 हिस्सा है। ख0नं0 492, 493 में प्रकाश का हिस्सा 1/5 है। महीपाल पुत्र गिरधारी का ख0नं0 171 में 1/4 हिस्सा है जिसमें उसने मकान बना रखा है , बोरिंग भी लगा रखी है तथा महीपाल का ख0नं0 173, 174 के हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/4 है तथा ख0नं0 285, 290 में से 3/4 हिस्सा महीपाल का है। प्रेमराज लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रेमराज का हिस्सा अनीता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, रजनीता तथा महीपाल के नाम दर्ज किया जावे। उसके सम्पूर्ण हिस्से पर उन्हीं का कब्जा है एवं ये प्रेमराज के वारिस होने के नाते उसके हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी है। पक्षकारों के मध्य अर्सा करीब 70 साल पहले ही विभाजन हो गया है तभी से पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तथा अपने अपने हिस्से में उन्होने विकास कार्य भी कर रखे हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई तथा मौके पर आए दिन विवाद करते रहते हैं। वादीगण ने विवाद समाप्त करने के लिए तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवारा कराने हेतु प्रतिवादीगण से कहा परन्तु दिनांक 18.6.2021 को प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि ख0नं0 130, 131, 132, 133, 135 ग्राम ताजपुर में से ख0नं0 130 रकबा 0.59 है0 को कब्जे के मुताबिक बंटवारे में हरिप्रसाद पुत्र जौहरीलाल मीना के नाम दर्ज की जावे, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 का हिस्सा 1/2, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में हिस्सा 1/4 तथा ख0नं0 138 रकबा 0.38 है0 के हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 492, 493 के हिस्से 1/5, ख0नं0 173, 174 के हिस्से 1/4 में 1/4 हिस्से पर अनीता का कब्जा है। उक्त अनुसार उक्त नम्बरान को विभाजन में अनीता के नाम दर्ज किया जावे। ख0नं0 473, 474, 478 में से ख0नं0 475 सम्पूर्ण एवं ख0नं0 [illegible] रकबा 1.17 है0, ख0नं0 495 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 131 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 168 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 283 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.90 है0 में मिश्री बेवा मिश्रया का नाम हजफ कर बंटवारे में गोविन्द सहाय, रामचरण के नाम कब्जे अनुसार दर्ज किया जावे व मिश्री बेवा मिश्रया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

हिस्सा भी इन दोनों भाईयों के नाम दर्ज किया जावे। ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में से हिस्सा 1/4, ख0नं0 173 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 174 रकबा 0.12 है0 के हिस्सा 1/4 में से 1/4, ख0नं0 138 रकबा 0.88 है0 में से हिस्सा 1/2, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0 में से हिस्सा 1/2, ख0नं0 492 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.53 है0 इस प्रकार ख0नं0 492, 493 दोनों में से 0.78 है0 भूमि बंटवारे में तारावती, रजनीता, विकास, कपिल के नाम दर्ज की जावे। ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0 में से हिस्सा 1/4 में प्रकाश का पुख्ता मकान बना हुआ है तथा ख0नं0 173, 174 में हिस्सा 1/4 में से 1/4, ख0नं0 285, 290 में हिस्सा 1/4 तथा ख0नं0 492, 493 का हिस्सा 1/5 प्रकाश के नाम दर्ज किया जावे। ख0नं0 171 के हिस्सा 1/4 में महिपाल का मकान बना हुआ है, बोरिंग लगी हुई है। ख0नं0 173, 174 में हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/4 तथा ख0नं0 285, 290 में से हिस्सा 3/4 महिपाल के नाम दर्ज किया जावे। बाकी खसरा नम्बरान को प्रतिवादीगण के नाम बंटवारे में दर्ज किया जावे। प्रेमराज लाऔलाद फौत हो चुका है। वादीगण अनीता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश, रजनीता, महिपाल इसके वारिसान है। प्रेमराज का हिस्सा इन सभी के नाम इनके हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे किवे मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात जमाबंदी के इन्द्राजात के अनुसार पक्षकारान की सहखातेदारी में होना स्वीकार है, शेष इबारत गलत है जो स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजियात का 70 वर्ष पूर्व या कभी भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। इन 70 वर्षो में एकीकरण व भू–प्रबन्ध का कार्य हो चुका है। यदि 70 वर्षो में बंटवारा हुआ होता तो एकीकरण अथवा भू–प्रबन्ध में अलग अलग खाते कायम हो चुके होते। [illegible] का यह कथन कि भूमि का बंटवारा हो चुका है, कतई गलत [illegible] जब भूमि का कोई वाहमी बंटवारा ही नहीं हुआ तो अलग अलग कब्जे होना गलत है। पक्षकारों ने अपनी सुविधानुसार अलग अलग मकान बना रखे हैं। इन मकानों के अलावा बाकी सारी भूमि अविभाजित है। वादीगण ने बोरिंग अभी दावा दायरी से कुछ समय पूर्व नाजायज बनाई है जो ख0नं0 494 में बनाई है। जबाबदारान ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

वादीगण को बोरिंग बनाने से मना किया तो नहीं माने और जबरन बोरिंग बना ली जो अविभाजित शामलाती भूमि में ही है। वादीगण द्वारा नाजायज निर्माण करने के कारण ही जबाबदारान ने वादीगण व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध दावा किया है। हरिप्रसाद का तन्हा कब्जा ख0नं0 130 रकबा 58 एयर पर नहीं है। हरिप्रसाद ने बाउण्ड्रीवाल अभी दौराने दावा बनाई है जो नाजायज तरीके से बनाई है। बिना बंटवारे के किसी भी सहखातेदार को कोई भी निर्माण किसी भी हिस्से पर करने का अधिकार नहीं है। पक्षकारों के मध्य 70 साल पूर्व कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ केवल सुविधानुसार सहमति के काश्त कर रहे हैं। इस चरण में बतलाए अनुसार अनीता का कब्जा नहीं है। यदि पूर्व में बंटवारा हो चुका है तो वादीगण को बंटवारे का दावा प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वादीगण द्वारा बंटवारा का दावा प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि वास्तव में पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। लैण्ड होल्डर की सहमति के वगैर सहखातेदार कानूनन बंटवारा नहीं कर सकते हैं। गोविन्दसहाय व रामचरण ने अभी हाल में ही जबरन बोरिंग लगाई है तथा मकान भी जबाबदारान के मना करने के बाबजूद जबरन बना लिया है। पक्षकारों की सहखातेदारी की उक्त भूमि में कुछ भूमि बंजड है तथा कुछ उपजाऊ है तथा ख0नं0 165, 168, 162, 171, 173, 174, 493, 494, 495 सडक के किनारे है। वादीगण की नियत खराब है, वो नाजायज तरीके से सडक के किनारे की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जबाबदारान सम्पूर्ण सहखातेदारी की भूमि का बंटवारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कराने को तैयार हैं जिसमें प्रत्येक सहखातेदार व जबाबदार व वादीगण को प्रत्येक खसरा नम्बर में से उसके हिस्से अनुसार अच्छी एवं बुरी सब तरह की भूमि दी जावे। जबाबदारान ने भी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारों के मध्य बंटवारे हेतु अदालत हाजा में दावा उनवानी गिलासी बनाम अनिता पेश कर रखा है। दोनों वाद कन्सोलीडेट किए जाकर रिकार्ड के अनुसार पक्षकारों के दर्ज हिस्से जमाबंदी अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग अलग हिस्से कायम किए जाने चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: Self Attested

प्रतिवादी नं0 19 ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि खाता नं0 30 ग्राम ताजपुर में वादी हरिप्रसाद का [illegible] हिस्सा है जो बैंक आफ बडौदा शाखा कालेज रोड गंगापुर सिटी में रहन है। इसके अलावा अन्य जमीन के बारे में बैंक को कोई जानकारी नहीं है। बैंक का ऋण चुकाए बिना वादीगण किसी भी अनुतोष के अधिकारी नहीं है। हरिप्रसाद ने अपना हिस्सा बैंक में

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(32)

रहन रखा है तथा वह अपने हिस्से पर काश्त कर रहा है। उक्त ऋण चुकाए बिना वादी एवं प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। जबाबदार बैंक को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसके लिए बैंक विशेष कर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 व 9 ने अपने जबाब दावे में वाद को अस्वीकार करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 12/1, 13/1 से 13/6 व 14/1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादीगण का दायित्व है कि वह अपने वादपत्र को अपने कथनानुसार रिकार्ड से साबित करे। वादीगण ने अपने वादपत्र के मद नम्बर 1 के पेज नम्बर 4 पर दर्ज किया है कि प्रेमराज पुत्र किशोरी लाऔलाद फौत हो चुका है फिर इसी मद में प्रेमराज के वारिसान का उल्लेख किया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब प्रेमराज पुत्र किशोरी लाऔलाद फौत हो चुका है तब उसके वारिसान अनिता पुत्री जलधारी एवं कपिल पुत्र छुट्टन लाल , तारावती पत्नि छुट्टनलाल, प्रकाश पुत्र किशोर, रजनीता पत्नि छुट्टन लाल एवं विकास पुत्र छुट्टनलाल तथा महीपाल पुत्र गिरधारी कैसे वारिस हुए। जबकि प्रेमराज पुत्र किशोरी का लाऔलाद फौत होना वादीगण स्वयं अपने वादपत्र में होना मानते हुए। वादीगण का एडमिशन है जिससे वो पाबंद है व धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एस्टोप्ड है। वारिसान तय करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है रेवन्यू अदालत को नहीं। इस प्रकार वादीगण ने अपना दावा गलत तथ्य व वाकेयात के आधार पर खिलाफ कानून व कायदा दायर किया है जो संचलित योग्य नहीं है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे एवं इसी वादपत्र के मद नम्बर 1 के पेज नम्बर 5 में भूमि हाल ख0नं0 182 की खातेदारी गोविन्द सहाय, रामचरण, अनिता, कपिल, विकास, तारावती, प्रकाश पुत्र किशोरी, प्रेमराज पुत्र किशोरी, महीपाल, मिश्रीबाई, रणजीता एवं प्रतिवादी किशन पुत्र भौरया, गिलासीराम पुत्र जौहरी लाल, पांच्या पुत्र भौरया, बतासी [illegible] पुत्र भौरया, रामकेश पुत्र जौहरीलाल, रामगोपाल पुत्र जौहरील[illegible] ह[illegible]री पुत्र भौरया के नाम दर्ज होना दर्शाया है जबकि उक्त [illegible] की खातेदारी सोमा पत्नि रामकिशोर हिस्सा 1/2 जाति बैरवा, सोमा[illegible] पुत्र कजोड्या हिस्सा 1/2 जाति बैरवा निवासी सीतापुरा तहसील बामनवास के नाम दर्ज है। उक्त व्यक्ति को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। दावा आदेश 1 नियम 9 जा0दी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

से वार्ड वाई ला होने से संचलित योग्य नहीं है। वादीगण ने अपना वादकारण दिनांक 18.6.2021 का यह कहते हुए दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने तथाकथित दिनांक 18.6.2021 को आपसी सहमति से भूमि का कब्जे मुताबिक बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया जबकि प्रस्तुत दावे में ख0नं0 182 के काश्तकार पक्षकार मुकदमा ही नहीं है तो बंटवारा करने व नहीं करने व इन्कारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से विला वादकारण होने से संचलित योग्य नहीं है। दावा वार्ड बाई ला है क्योंकि दि0 18.6.2021 को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ। दावा वार्ड बाई ला होने के कारण खारिज फरमाया जावे। कानूनन भूमि का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण को तथाकथित दि0 18.6.2021 को कोई वादकारण विरूद्ध मिनजबाबदार प्रतिवादीगण पैदा नहीं हुआ है क्योंकि वादीगण ने अपना वादपत्र मरे हुए व्यक्ति पर पेश किया है। दायरी दावे से पूर्व ही प्रतिवादी सं0 11 से 14 मर चुके हैं। इस बात को वादीगण भलीभांति जानते हैं। वादीगण ने जानबूझकर मरे हुए व्यक्तियों पर दावा किया है जो कानूनन किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण ने दावा वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी नं0 11 से 14 को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए दायर किया है जो कि दावा दायरी से पूर्व ही मर चुके हैं ऐसी सूरत में दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 से बाधित होने के कारण संचलित योग्य नहीं है इसलिए खारिज फरमाया जावे। वादीगण को कोई वादकारण तथाकथित दि0 18.6.2021 को पैदा नहीं हुआ है। दावा वादीगण विला वादकारण होने से संचलित योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे। ख0नं0 182 के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि स्पष्ट रूप से वादीगण ने अपने वादपत्र के मद नं0 1 में पेज नम्बर 5 पर उक्त खसरा नम्बर का उल्लेख किया है। उसके खातेदारान सोमा पत्नि रामकिशोर,सोमोत्या पुत्र कजोड्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील बामनवास रहे हैं जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। [illegible] दावा वादीगण आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 से बाधित होने के [illegible] नहीं है, खारिज फरमाया जावे। वादीगण ने अपने [illegible] मद नं0 1 पेज नं0 4 पर प्रेमराज पुत्र किशोर को लाऔलाद फौत हो[illegible] बताया है, जब वह लाऔलाद फौत हो चुका है तब उसके वारिसान कौन है, कैसे हैं, किस प्रकार हैं इसको तय करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

है। जब तक यह तय नहीं हो जाता तब तक दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का संचलित योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 15 ने अपने जबाब दावे में निवेदन किया है कि वादपत्र में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 15 के हितों को ध्यान में रखते हुए दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं0 17 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादी रजनीता व तारावती ने अपने हिस्से की भूमि बैंक के यहां रहन रखी हुई है एवं अभी ऋण अदा नहीं किया है। रिकार्ड में रहन दर्ज है। बैंक की बकाया राशि जमा कराए बिना इस दावे में वे कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इनसे बैंक का ऋण अदा करवाया जावे।

वाद के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संम्बत् 2073 से 2076 खाता सं0 31, 64, 28, 35, 162, 30, 29 ग्राम ताजपुर प्रस्तुत की है।

उपरोक्त दोनों वादपत्रों में वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकारान समान होने के कारण वाद संख्या 53/2021 उनवानी गोविन्दसहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा को वाद संख्या 43/2021 उनवानी गिलासी वगैरा बनाम अनीता वगैरा के साथ कन्सोलीडेट किया गया है तथा दोनो में यह निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषगण की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत मामले में भूमि विभाजन हेतु प्रकरण में दिनांक 13.1.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2023 को जारी प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.9.2024 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.1.2023 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सहखातेदारों के पक्के निर्माण, बोरिंग व पुराने कब्जे को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की रोशनी में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:40:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(35)

गिलासी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहां से पत्रावली उनके निर्णय दिनांक 30.9.2024 के साथ वापिस प्राप्त होने पर उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकरणो में उभयपक्ष की पुनः सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2025 द्वारा पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र क्रमांक विभाजन स्कीम/2025/41 दिनांक 22.4.2025 के साथ विभाजन स्कीम दो प्रतियो में इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 22.4.2025 को प्राप्त विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी गोविन्द वगैरा ने दिनांक 13.5.2025 को आपत्ति प्रस्तुत की है। अपनी आपत्ति में प्रतिवादी गोविन्द वगैरा ने अंकित किया है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थीगण को कोई सूचना दिए बिना एकतरफा में स्कीम तैयार की है तथा रोडसाइड की अच्छी किस्म की भूमि जिस पर 60 साल पूर्व से ही अप्रार्थीगण रामचरण, गोविन्द वगैरा का कब्जा चला आ रहा है, को वादीगण के नाम दर्ज कर दी है तथा तहसीलदार द्वारा स्वयं के मौके पर जाने की अप्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी है तथा स्कीम में तहसीलदार द्वारा बदयान्तिपूर्वक लिख दिया कि अप्रार्थीगण ने स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जबकि अप्रार्थीगण को स्कीम की कोई जानकारी नहीं है। तहसीलदार द्वारा टीनेन्सी बटवारा रूल्स की अवहेलना की है। अतः दरख्वास्त पेश कर अर्ज है कि स्कीम को निरस्त करते हुए पुनः दोनों पक्षों की मौजूदगी में स्कीम तैयार की जावे।

इस आपत्ति प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से दिनांक 20.5.2025 को जबाब प्रस्तुत किया गया है । जबाब में वादीगण ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने उक्त आपत्ति गलत प्रस्तुत की है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रतिवादीगण को सूचना दी है और उनके सामने स्कीम तैयार की है। प्रतिवादीगण ने स्कीम पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया जिसका नोट भी स्कीम में डाला गया है। तहसीलदार सरकारी कर्मचारी है जिससे प्रतिवादीगण ने अपनी कोई [illegible] ऐसी स्थिति में तहसीलदार गलत नोट क्यों डालेगा। प्रतिवादीगण ने बिना सूचना दिए रिपोर्ट तैयार करना गलत अंकित किया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर काबिज व्यक्तियों को उनका हिस्सा दिया गया है और अच्छी व बुरी सारी भूमि में से वाकायदा हिस्सा दिया गया है। मौके पर ख0नं0 173, 174, 168 जो सडक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के किनारे है, उसके तीन टुकडे किए हैं जो रामकेश, गोविन्द व बाबू को दिए गए हैं। इसी प्रकार ख0नं0 164 व 165 रामकेश व बाबू को दिए गए हैं। ख0नं0 494, 498 रामकेश, बाबू व गोविन्द को दिए गए हैं। इनमें गोविन्द प्रतिवादी है। ख0नं0 171 सम्पूर्ण प्रतिवादी तारा को, ख0नं0 162 सम्पूर्ण प्रतिवादी गोविन्द को, ख0नं0 493 प्रतिवादी तारा को दिया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने प्राथना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उन्हें कौनसे खसरा नम्बर में भूमि नहीं दी गई है और कौनसा खसरा नम्बर जो इनके कब्जे का है, को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में लगा दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने जानबूझकर मुकदमा का निस्तारण करना नहीं चाहते हैं और प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में भी जिन खसरा नम्बरों पर स्वयं का कब्जा बताया है वह प्रतिवादीगण को दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किया जाकर बंटवांरा स्कीम के अनुसार फाइनल डिक्री तैयार की जावे।

प्रतिवादी गोविन्द वगैरा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी गोविन्द वगैरा के विद्वान अभिभाषक ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु मौके पर आने बाबत् प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं विभाजन स्कीम प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। विभाजन स्कीम तैयार करते समय प्रतिवादीगण के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं विभाजन स्कीम में बदनियतिपूर्वक यह अंकित कर दिया गया है कि प्रतिवादींगण ने विभाजन स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रस्तुत विभाजन स्कीम विधि विरूद्ध है, विभाजन स्कीम निरस्त की जाकर प्रतिवादीगण के कब्जे को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाजन स्कीम मंगवाई जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील प्रतिवादी ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 1998 पेज 16[illegible] किया है।

वादीगण के विद्वान अभि[illegible] पर अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार गंगापु[illegible] मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन [illegible]कीम तैयार की गई है जिसका उल्लेख विभाजन स्कीम में तहसीलदार द्वारा किया गया है। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पक्षकारों के मौके पर कब्जे एवं हिस्से के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन स्कीम तैयार की गई है जो विभाजन स्कीम के अवलोकन से विदित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने विभाजन स्कीम तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस दिया है जिसका उल्लेख विभाजन स्कीम में किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में ऐसे किसी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया है जिस पर उनका कब्जा हो एवं वह भूमि प्रतिवादीगण को नहीं दी गई हो। प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में जिस पर उनका भूमि पर कब्जा बताया है उसी प्रकार उन्हें विभाजन स्कीम में भूमि दी गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है जो खारिज की जावे एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र का, वादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का एवं विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण गोविन्द वगैरा की विभाजन स्कीम पर आपत्ति है कि तहसीलदार ने विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु प्रतिवादीगण को सूचना नहीं दी है, विभाजन स्कीम में प्रतिवादीगण के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं विभाजन स्कीम मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से तैयार नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस विभाजन स्कीम में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने पक्षकारों को नोटिस जारी करने का उल्लेख किया है। प्रतिवादी की इस आपत्ति का प्रश्न है कि उसके कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम तैयार नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण ने उपलब्ध नहीं कराया है कि उसका वादग्रस्त भूमि के किसी विशेष चिन्हित स्थान पर कब्जा रहा हो इसलिए प्रतिवादीगण की यह आपत्ति [illegible] नहीं है। इसके अलावा विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण को उनका हिस्सा मौके पर एवं उनके कब्जे अनुसार दिया गया है जो निश्चय ही मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिया गया है। इसलिए प्रतिवादीगण की मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन स्कीम नहीं बनाने की आपत्ति भी निराधार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(38)

गिलासी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन स्कीम पर प्रस्तुत की गई आपत्ति पूर्णतया निराधार है फलस्वरूप प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम स्वीकार की जाकर पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. पक्षकार रामचरण, गोविन्दसहाय पिता मिश्रया हिस्सा 2/6 गल्ला, गिन्दोडी, मल्लीदेवी पुत्रियां मिश्रया हिस्सा 4/6 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 131 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 110/4 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 173/3 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 174 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 168/1 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 225/4 रकबा 0.0450 है0, ख0नं0 283 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 474/1 रकबा 0.9550 है0, ख0नं0 475 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 491/1 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 494/2 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 495/1 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 162 रकबा 1.22 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.95 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।
2. पक्षकार रामकेश पुत्र जौहरीलाल हिस्सा 1/3, रामगोपाल पुत्र जौहरीलाल हिस्सा 1/3, गिलासीराम पुत्र जौहरीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 110/5 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 137 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 140 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 163/2 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 164/2 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 165/3 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 168/2 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 173/2 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 225/3 रकबा 0.0450 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 473 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 478/1 रकबा 0.9150 है0, ख0नं0 489 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 491/1 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 492/2 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 494/1 रकबा 0.54 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 8.97 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी [illegible]
3. पक्षकार अनिता पुत्री ज[illegible] पत्नि छुट्टन हिस्सा 1/16, नाबालिग कपिल पुत्र छुट्टन [illegible]/16 संरक्षक माता तारावती, रजनीता पुत्री छुट्टन हिस्सा 1/16, नाबा[illegible] विकास पुत्र छुट्टन हिस्सा 1/16 संरक्षक माता तारावती, महीपाल पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/4, प्रकाश पुत्र किशोर हिस्सा 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 110/3 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 138 रकबा 0.88

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

है0, ख0नं0 161 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 171 रकबा 1.30 है0, ख0नं0 172
रकबा 0.32 है0, ख0नं0 225/1 रकबा 0.0450 है0, ख0नं0 285 रकबा 0.36
है0, ख0नं0 290 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 474/2 रकबा 0.8450 है0, ख0नं0
478/3 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 492/1 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 493 रकबा
0.55 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.96 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील
गंगापुर सिटी रहेगी।

4. पक्षकार बतासी पुत्र कौरया हिस्सा 1/3, रमेशचन्द पुत्र कौरया हिस्सा
1/3, बाबूलाल पुत्र कौरया हिस्सा 1/3 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन
बदस्तूर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 133 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 135 रकबा
0.33 है0, ख0नं0 139 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 110/6 रकबा 0.28 है0,
ख0नं0 225/2 रकबा 0.0450 है0, ख0नं0 173/1 रकबा 0.40 है0, ख0नं0
163/1 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 164/1 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 265 रकबा
0.14 है0, ख0नं0 284 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 282 रकबा 0.53 है0, ख0नं0
165/2 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 168/3 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 478/2
रकबा 1.2650 है0, ख0नं0 491/3 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 495/2 रकबा
0.80 है0, ख0नं0 494/3 रकबा 0.10 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 8.03
है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

5. पक्षकार हरिप्रसाद पुत्र जौहरीलाल जाति मीना निवासी जीरोता तहसील
सपोटरा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 130 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 110/1
रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 स्थित ग्राम ताजपुर
तहसील गंगापुर सिटी रहेगी ।

6. पक्षकार गिर्राज प्रसाद पुत्र सांवलियाराम जाति मीना निवासी खडी की
डोंगरी के पास ताजपुरा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 136 रकबा 0.30 है0,
ख0नं0 110/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 स्थित
ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

[illegible]

7. पक्षकार ओमप्रकाश पुत्र नवल हिस्सा 1/8, भरतलाल पुत्र नवल
हिस्सा 1/8, बनेसिंह पुत्र नवल हिस्सा 1/8, भगवानदास पुत्र कमल हिस्सा
1/4, सुशील पुत्र कमल हिस्सा 1/4, सोमोती पत्नि स्व0 नवल हिस्सा
1/8 जाति मीना निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि
ख0नं0 165/1 रकबा 0.04 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी
रहेगी।

8. पक्षकार अनिता पुत्री ज[illegible] हिस्सा 1/16, महीपाल पुत्र गिरधारी
हिस्सा 1/16, प्रकाश पुत्र किशोर हिस्सा [illegible], तारादेवी छुट्टन हिस्सा
1/64, नाबालिग कपिल पुत्र [illegible] संरक्षक माता तारादेवी,
नाबालिग विकास पुत्र छुट्टन हिस्सा 1/64 संरक्षक माता तारावती, रजनीता
पुत्री छुट्टनलाल हिस्सा 1/64, रामचरण पुत्र मिश्रया हिस्सा 7/72.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(५०)

गिलारी वगैरा बनाम अनिता वगैरा, दावा
गोविन्द सहाय वगैरा बनाम गिलासीराम वगैरा, दावा

गोविन्दसहाय पुत्र मिश्रया हिस्सा 7/72, अमरो, गल्ला, गिन्दोडी, मल्लीदेवी पुत्रियां मिश्रया हिस्सा 4/72, गिलासीराम पुत्र जौहरी, रामकेश पुत्र जौहरीराम, गोपाल पुत्र जौहरी हिस्सा 1/4, बतासी, रमेशचन्द, बाबूलाल पिता कोरया हिस्सा 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन बदस्तूर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 170 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 490 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 224 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के खाते अलग अलग कायम किए जाकर अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17-6-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested